

भाग — II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून में मसूरी अन्तर्गत भट्टाफाल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा, डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित वन स्वरूप भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.594405 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.355305 है0 सिविल सोयम भूमि (वन स्वरूप) मसूरी वन प्रभाग 0.288300 है0 सिविल सोयम भूमि (वन स्वरूप) देहरादून वन प्रभाग 0.594405 है0
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित सीवर लाईन के निर्माण में (वन स्वरूप) सिविल सोयम भूमि में कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। प्रस्तावक विभाग द्वारा तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 38 पर चर्चा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल ग्राम क्यारकुली भट्टा सामिलात देह(वन स्वरूप) एवं राजकी भूमि (नाला) खसरा न0 684 रकबा 3.966 है0 भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधिति की जाएं)	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के संलग्नक-प्रपत्र-21 पर प्रमाण पत्र चर्चा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	—उक्तानुसार—
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पृष्ठ-44 पर चर्चा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत् प्रस्तावक विभाग एवं राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-42 पर चर्चा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	अपेक्षित (वन स्वरूप) भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित कार्य के निर्माण में अपेक्षित भूमि के बदले परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। प्राकलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 30 पर चर्चा किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित कार्य के निर्माण में अपेक्षित भूमि के बदले परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 30 पर चस्पा किया गया है। प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 30 पर चस्पा किया गया है। भू-खंड पहाड़ी है। वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल परियोजना क्षेत्र से लगा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित योजना के निर्माण में अपेक्षित भूमि के बदले परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 30 पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	1. प्रस्तावित योजना के निर्माण में अपेक्षित भूमि के बदले परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	-
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, नगर पालिका परिषद एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक- प्रपत्र 15 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि० 05-05-2017 को किया गया है, जो कि संलग्नक-प्रपत्र - 15ए पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 109 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 256.0708 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 184.8423 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 395.8194 / 622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 274.98 / 478.88 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: ११-५-२०१७

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (डा० साकेत बडोला)
संरक्षक/मुहरनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी